भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3215
दिनांक 18 दिसंबर 2025

पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण

†3215. डॉ. लता वानखेड़ेः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 2030 की वास्तविक समय-सीमा से पहले पेट्रोल में बीस प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में किस प्रकार प्रगति हुई है;

(ख) इथेनॉल के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत क्या कदम उठाए गए हैं और किस तरह के प्रोत्साहन प्रस्तावित हैं;

(ग) प्रधानमंत्री जी-वन योजना जैसी योजनाओं के तहत सहकारी चीनी मिलों और उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं को किस प्रकार सहयोग प्रदान किया जा रहा है; और

(घ) देश भर में इथेनॉल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए किये जा रहे अवसंरचना और संभार तंत्र संबंधी उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018, जिसे 2022 में संशोधित किया गया था, ने अन्य बातों के अलावा, पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को वर्ष 2030 से घटाकर एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26 (ईएसवाई - 1 नवंबर, 2025 से 31 अक्टूबर, 2026) तक कर दिया। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने जून 2022 में अर्थात् ईएसवाई 2021-22 के दौरान निर्धारित लक्ष्य से पांच महीने पहले, पेट्रोल में 10%, ईएसवाई 2022-23 में 12.06% और ईएसवाई 2023-24 में 14.60% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2024-25 के दौरान, 1000 करोड़ लीटर से अधिक एथेनॉल

का मिश्रण किया गया, जिससे पेट्रोल में औसतन 19.24% एथेनॉल का मिश्रण प्राप्त हुआ। अक्टूबर 2025 के महीने में, 19.97% एथेनॉल मिश्रण लक्ष्य प्राप्त किया गया।

(ख) से (घ) देश में एथेनॉल उत्पादन के लिए फीडस्टॉक और अवसंरचनात्मक ढांचे की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, एथेनॉल उत्पादन के लिए फीडस्टॉक का विस्तार, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत एथेनॉल अधिप्राप्ति के लिए प्रशासित मूल्य व्यवस्था, ईबीपी कार्यक्रम के लिए एथेनॉल पर जीएसटी दर को घटाकर 5% करना, वर्ष 2018-22 के दौरान विभिन्न एथेनॉल ब्याज अनुदान योजनाएँ (ईआईएसएस) आरम्भ करना, सहकारी चीनी मिलों के लिए मौजूदा गन्ना-आधारित डिस्टिलरी को शीरे और खाद्यान्न से एथेनॉल उत्पादन के लिए बहु-फीडस्टॉक संयंत्रों में परिवर्तित करने हेतु एक समर्पित अनुदान योजना, ओएमसी और समर्पित एथेनॉल संयंत्रों के बीच 233 दीर्घकालिक उठान समझौतों (एलटीओए) पर हस्ताक्षर करना, ईएसआई 2024-25 (1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक) और ईएसआई 2025-26, प्रत्येक के लिए एथेनॉल उत्पादन हेतु भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के 52 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) अधिशेष चावल का आवंटन करना, ईएसआई 2024-25 के लिए एथेनॉल उत्पादन हेतु 40 एलएमटी चीनी का विपथन करना, ईएसवाई 2025-26 के लिए गन्ने के रस/चीनी सिरप, बी-हैवी शीरे और सी-हैवी शीरे से एथेनॉल का निर्बाध उत्पादन करना, एथेनॉल का बहुविध परिवहन और एथेनॉल भंडारण क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ एथेनॉल के उच्च मिश्रणों के प्रबंधन के लिए अन्य संबद्ध अवसंरचनात्मक ढांचे का विकास करना शामिल है।

इसके अलावा, सरकार ने "प्रधान मंत्री जी-वन (जैव ईंधन-वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना 2019" अधिसूचित की थी, जिसे वर्ष 2024 में संशोधित किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करके सतत विमानन ईंधन परियोजनाओं सहित उन्नत जैव ईंधन की स्थापना करना है। इस योजना के तहत, वाणिज्यिक स्तर की परियोजनाओं के लिए प्रति परियोजना अधिकतम 150 करोड़ रुपये और प्रदर्शन स्तर की परियोजनाओं के लिए प्रति परियोजना अधिकतम 15 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है।

*****